

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/139725/FGH/FATEHGARH/497/CFO

दिनांक: 16-12-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **P N FOUNDATION SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **1076, 1077,CHILOLI PATHAN KAIMGANJ,FARRUKHABAD** तहसील - **SADAR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
PN FOUNDATION SCHOOL	3	0	10.95 mt.

तथा प्लॉट एरिया **4600 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **P N FOUNDATION SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **17-12-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ANOOP KUMAR AGARWAL myselfaka@gmail.com 9415124785** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **19-12-2024** से **19-12-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : 1- All Fire Fighting must be in working condition as per NBC 2016 and up fire and Emergency service Act 2024 and a trained fire safety supervisor should be assigned these duties. 2-Incase of any deviation found at the Site , the Issued Certificate will be Automatically Cancelled. 3-भवन में निरीक्षण के दौरान केवल 6000 लीटर का ही टैरिस टैंक पाया गया है, 4000 लीटर टैरिस टैंक अलग से भवन में 05 दिवस के अंदर संयोजित करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। 4- इस स्कूल का विद्युत विभाग से एलेक्ट्रिक ऑडिट कराकर विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र 03 दिवस के अंदर प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(VIJAYPRAKAS TRIPATHI)

[8B8F826EEEDF270C6588C79A5CCD89B53F0F3A01]

19-12-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 19-12-2024
स्थान : FATEHGARH